छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर

क्रमांक-390/संविसं/1643/बैंक/स्था./2013 नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2013

प्रति

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
. . . . .विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों की अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने बाबत- पात्र बैंकों की सूची।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 576/संविसं/1643/बैंक/स्था/2011 दिनांक 25.07.2011 द्वारा राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों उपक्रमों की अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु पात्र बैंकों की सूची जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर नवीन सूची तैयार की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 576/संविसं/1643/बैंक/स्था./2011 दिनांक 25.07.2011 को अधिक्रमित किया जाता है। समस्त विभाग अपने अधीनस्थ निगमों/मण्डलों/उपक्रमों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अतिरिक्त राशि को संलग्न सूची अनुसार पात्र बैंकों में ही जमा करायें एवं यह सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग-एक, सहायक नियम (9) का उल्लंघन न हो।

2. संलग्न सूची 30 अप्रैल, 2014 तक अथवा नवीन सूची जारी होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावशील रहेगी।

3. इस ज्ञाप के साथ संलग्न अनुसूचित बैंकों की सूची राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों/उपक्रमों की अतिरिक्त राशि के जमा किये जाने से ही संबंधित है। इसका अन्य बैंकिंग कार्य (जैसे-चालू खाता/बचत खाता संधारण, ड्राफ्ट इत्यादि जारी कराने) पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वे यथावत जारी रखे जा सकेंगे।

4. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(नारायण)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर

विभिन्न प्रशासकीय निकायों द्वारा शासन की अतिरिक्त/उपलब्ध कोष का विनियोजन व्यावसायिक बैंकों में किए जाने हेतु पात्र बैंकों की सूची :-

क्र.	बैंक का नाम
1.	छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3.	अपेक्स बैंक
4.	दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5.	इण्डियन ओवरसीस बैंक
6.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7.	बैंक ऑफ इण्डिया
8.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
9.	इण्डियन बैंक
10.	पंजाब नेशनल बैंक
11.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
12.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
13.	देना बैंक
14.	आई.डी.बी.आई. बैंक
15.	बैंक ऑफ बड़ोदा
16.	यूको बैंक
17.	एक्सीस बैंक
18.	इंडसइंड बैंक
19.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
20.	इलाहाबाद बैंक
21.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
23.	कार्पोरेशन बैंक

(नारायण)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग